न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 77/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री पन्नालाल पिता श्री रामलाल जी गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा दि0 6–7–2015 प्रकरण सं.124/2011 वाद

————

उपस्थित :–1–श्री पन्नालाल मोरू अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

————/————

निर्णय **दिनांक 21–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम काया में साबिक आराजी नंबर 1590 में उसे दिनांक 6–12–1978 को 3 बीघा भूमि आंवटित की गई थी। उस भूमि का उसने 32 वर्षो में श्रम व धन से आबादान किया, परन्तु उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि आज तक उक्त भूमि उसके नाम दर्ज नहीं हुई है। उक्त भूमि का भू–प्रबन्ध के दौरान नये नंबर 3536 रकबा 2.71 हैक्टर कायम हुए है। वादी प्रतिकूल कब्जे से भी खातेदार हो चुका है। उसे खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की :–

1. **आया वादपत्र की चरण क्रम सात में वर्णित आराजीयात का वादी अपने खाते घोषित कराने एवं राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित कराने का अधिकारी है? ..... वादी**
2. **आया वादपत्र की चरण क्रम साम में वर्णित आराजीयातय पर वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? .....वादी**
3. **आया वादपत्र की चरण क्रम एक में वर्णित साबिक आराजीयात वादी को विधिवत आवंटित हुई? ..... वादी**
4. **आया वादग्रस्त आराजीयात की किस्म पहाड़ है जिसे आवंटित नहीं की गई है? ..... प्रतिवादी**
5. **आया वादग्रस्त आराजीयात बिलानाम है जिस पर वादी का कब्जा नहीं रहा है? .....वादी**
6. **अनुतोष?**

अधिनस्थ न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद दिनांक 6–7–2015 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–9–2015 को पेश की गई।

नकल प्राप्त होने में एक माह 10 दिन का विलम्ब होने के दृष्टिगत अपील अन्दर मयाद मानी जाकर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया। आवंटन के प्रमाणित होने के बावजूद उसे नहीं माना, कब्जे बाबत् मौखिक साक्ष्यों को भी नजर अन्दाज कर दिया तथा तनकी संख्या 4 व 5 पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर भी उन तनकीयों को प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णित कर दिया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि वादी का वाद प्रमुख रूप से वर्ष 1978 में उसे आवंटित भूमि का वाद इस आधार पर वर्ष 2011 में यानि 33 वर्षो बाद इस आधार पर पेश किया गया कि आराजी नंबर 1590 में से उसे 3 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जिसका अमलदरामद राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया है, जबकि कब्जा उसका है। भूमि का आवंटन होने व कब्जा होने के कारण तथा प्रतिकूल कब्जे से भी उसे खातेदार घोषित किया जाय। अपीलान्ट द्वारा साबिक आराजी नंबर 1590 के वर्तमान नंबर 3536 रकबा 2.71 हैक्टर होना बताया तथा उसमें से 3 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा चाही।

यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को आराजी नंबर 1590 में से 3 बीघा भूमि आंवटित की हुई है। वह स्वयं यह कहता है कि यह भूमि करीब 100–200 बीघा होगी। अपीलान्ट वादी द्वारा इस 100–200 बीघा भूमि में से उसे 3 बीघा भूमि कहां आवंटित हुई, इस बाबत उसके द्वारा कोई नक्शा ट्रेस, कब्जा सिपुर्दगी या अन्य विशिष्ठ रूप से इस भू–भाग पर वह विधिक रूप से काबिज हुआ, इसकी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। हाल आराजी नंबर 3536 जिसमें वह अपना आवंटित भू–भाग शामिल होना बताता है, उसका रकबा भी 2.71 हैक्टर यानि करीब 13–14 बीघा के आस–पास है तथा वह साबिक आराजी नंबर 1590 से नहीं बनकर 1590मीन से बना है। वर्तमान आराजी में भी उसका कहां विधिक स्वत्व है, यह प्रमाणित नहीं किया है। वह अभी आराजी नंबर 3536 पर काबिज भी हो तो भी यह उसे विधिक आवंटित भूमि है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व उसका है, परन्तु उसके द्वारा इस बाबत् कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। कब्जे अथवा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिवादी की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने की वादी अपीलान्ट को विधिक अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। आवश्चर्यजनक रूप से 35 वर्षो तक राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि नहीं होने पर भी संदिग्धता प्रकट करता है। राजकीय भूमि के रूप में दर्ज भूमि पर 33 वर्षो में कोई अतिक्रमण कर प्रकरण भी दर्ज नहीं होना विस्मयकारी है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि वादी अपीलान्ट द्वारा अपने भार सिद्ध वाद के सन्दर्भ में कोई सारभूत, विधिक एवं अनुतोष प्रदायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं तद्नुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है। जिसमें हम किसी प्रकार के तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 6–7–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री पन्नालाल पिता श्री रामलाल गुर्जर
निवासी बलीचा तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये
जिला कलेक्टर उदयपुर

अपील नं0 **77/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**गिर्वा** .....मुकाम मुक्र्खे.....**06**.....माह.....**07**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**21**..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री पन्नालाल मारू** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पंकज भटनागर**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**21**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।